न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 21/2018

अनवान

अशोक कुमार यादव पुत्र श्री जगराज सिंह यादव निवासी हाल ग्राम दांता तहसील–अजमेर, जिला–अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

दिनांक :– 24.01.2019

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सवंत 2075 में ग्राम दांता तहसील अजमेर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 880/3387 कुल रकबा 6.34 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड (चरागाह) भूमि में से रकबा 10 X 15 वर्ग फिट पर पक्की दुकान का निर्माण कर शराब की दुकान खोलकर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अतिकमी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 03/2018 दर्ज कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 07.05.2018 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिकमीं को विवादित आराजी पर किये गये अवैध अतिकमण से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 07.05.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आयें। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया।

अपील के मुख्य तथ्य यह है कि सवंत 2075 में ग्राम दांता तहसील अजमेर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0सं0 880/3387 कुल रकबा 6.34 हैक्टर किस्म गै.मु. पहाड (चरागाह) भूमि में से रकबा 10 X 15 वर्ग फिट पर पक्की दुकान का निर्माण कर शराब की दुकान खोलकर अतिचार किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 03/2018 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर समय चाहने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 द्वारा आगामी तारीख देने से मना कर दिया तथा उक्त दुकान को हटाये जाने का दवाब बनाया गया। तत्पश्चात प्रकरण में आगामी तारीख 7.5.2018 तय की गई। आगामी तारीख 7.5.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के कैम्प में जाने की जानकारी मौजूद लिपिक द्वारा देते हुए

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अभिभाषक अपीलान्ट के ब्लेंक आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर तारीख बाद में नोट करने हेतु कहा गया। दिनांक 8.5.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पुनः कैम्प में होने की जानकारी दी गई। दिनांक 9.5.2018 को अभिभाषक अपीलानट द्वारा आगामी तारीख की जानकारी चाहने पर उक्त प्रकरण को दिनांक 7.05.2018 को ही निस्तारित कर कब्जा लिये जाने के आदेश होने की जानकारी दी गई। अपीलान्ट को प्रश्नगत दुकान विधिवत रूप से दिनांक 1.4.2018 से 31.3.2019 तक के लिए आवंटित की गई है। प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट द्वारा नौरतमल से किराये पर लेकर केबिन लाकर रखी गई थी। ग्रामवासियों एवं ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने के बावजूद नजदीकी ठेकेदार द्वारा पटवारी से मिलाभगती कर चरागाह भूमि पर दुकान निर्माण करने की गलत रिपोर्ट पेश करवाई गई। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलान्ट को जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना केवल मात्र पटवारी हल्का की एक तरफा मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट सं0 02 द्वारा पूर्ण जांच किये बिना दवाब में अपीलान्ट को अतिकमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने एवं जुर्माना कायम करने का निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय, नियम, कानून, के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.05. 2018 निरस्त किया जावें।

राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिकमी को नोटिस जारी किया जाकर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गै.मु.पहाड (चरागाह) दर्ज है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय (चरागाह) भूमि पर अनाधिकृत रूप से दुकान निर्माण कर शराब की दुकान खोलकर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार (प्रथम) अजमेर द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अपीलान्ट द्वारा अपील कथनों के सर्मथन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख, प्रकट नहीं है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2018 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.01..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner